


8-4-17

भाजपद पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पेशी में ली गयी। प्रार्थी के जरिये वकील राजेश्वर शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी उम्ह निगरानी में वकील प्रार्थी पक्षकार है। उम्ह प्रकरण में कोई जांचिवाइ नहीं करवाना चाहते है।

अब अपीलान्त (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा रहा है। और पत्रावली इसी स्तर पर रवाशिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से काम होकर दारिजल पत्रकार हो। आदेश सुनाया गया।

  
8/4/17  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सुरतगढ़